न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/23 धारा 86 एल आर एक्ट (RCMS No.2023/423)

1. रामविलास पुत्र नारायण (मृतक)
   - 1/1 राजकुमार
   - 1/2 वेदप्रकाश
   - 1/3 प्रकाश बाबू

   पुत्रान रामविलास
   - 1/4 शान्तीदेवी पत्नी स्व0रामविलास
   - 1/5 राजकुमारी पुत्री रामविलास
2. कैलाशचंद पुत्र नारायण
3. हरिशंकर पुत्र नारायन
4. महेश पुत्र नारायन

जाति ब्राहमण निवासी पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामसहाय (मृतक)
   - 1/1 कस्तूरी वेवा रामसहाय
   - 1/2 गिर्राज
   - 1/3 हरिओम

   जाति ब्राहमण निवासी पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर।
   - 1/4 चमेली पुत्री रामसहाय पत्नी शम्भूलाल जाति ब्राहमण निवासी खैवास तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. सहायक भू अभिलेख अधिकारी वामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

..... अप्रार्थी

पुनर्विचार याचिका अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान (अति0 संभागीय आयुक्त भरतपर) दिनांक 31.03.2008 वसिलसिले अपील संख्या 191/05 रामविलास बनाम रामसहाय।

उपस्थितिः–

श्री महाराजसिंह वकील प्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 27.08.2024

उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 86 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा अपील संख्या 191/2005 रामविलास बनाम रामसहाय में पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 19.06.2001 के विरूद्ध

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील को निर्णय दिनांक 31.03.2008 के द्वारा खारिज किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक 31.03.2008 को पारित करने से पूर्व इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 01.08.1997 में यह स्पष्ट निर्देश थे कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी का निर्णय दिनांक 19.12.1988 निरस्त करते हुये मामला पुनः रिमाण्ड किया गया था तथा रैस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.1984 का भी निर्णय 2 माह के अन्दर करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष विचाराधीन थी, परन्तु इस तथ्य को निर्णय पारित करने से पूर्व नहीं देखा गया। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की खातेदारी के रकबे को कम करके अन्य व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के बाबजूद इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है। कब्जे व रकबे के आधार पर खातेदारी अधिकारों का सृजन होता है, प्रतिकूल कब्जा भी महत्वपूर्ण होता है। कम अधिक रकबे के विवाद का दावे में ही निर्धारण किया जा सकता है, परन्तु अदालत मातहत के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बाबजूद रकबा कमीवेशी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर था। इस तथ्य को भी निर्णय पारित करने से पूर्व नजरअंदाज किया गया है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 में यह माना है कि अपीलान्ट को पृथक दावा दायर करने की स्वतंत्रता है तथा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष भी दुरूस्त हेतु जा सकते हैं। एक ही निर्णय में विरोधाभासी अभिमत दिये गये हैं। इस आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण में पुनः बहस सुनी जाकर निर्णय किया जावे। रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। मूल अपील संख्या 191/2005 रामविलास बनाम रामसहाय निर्णय दिनांक 31.03.2008 की पत्रावली तलब की गई तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2001 से संबधित मूल पत्रावली संख्या 45/2001 रामविलास बनाम रामसहाय तलब की गई। वक्त बहस अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः नियत दिनांक को प्रार्थीगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने रिव्यू संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.06.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश दिनांक 31.03.2008 के द्वारा खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व इन बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि उपखण्डाधिकारी गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 01.08.1997 में यह स्पष्ट निर्देश रहे थे कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 19.12.1988 को निरस्त कर मामला पुनः रिमाण्ड किया गया था तथा रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.1984 का निर्णय भी 2 माह के अन्दर करना था। इसके अलावा प्रार्थीगण का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बामनवास के न्यायालय में विचाराधीन था। इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय दिनांक 31.03.2008 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व इस बिन्दु को भी नहीं देखा गया है कि किसी व्यक्ति की खातेदारी के रकबे को कम करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में दर्ज करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया गया। इसी तरह कब्जे व रकबे के आधार पर खातेदारी अधिकारों का सृजन होता है, प्रतिकूल कब्जा भी महत्वपूर्ण होता है कम अधिक रकबे के विवाद का दावे के आधार पर ही निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के गुणावगुण को नहीं देखा गया है। निर्णय दिनांक 31.03.2008 में यह भी माना गया है कि अपीलान्टस को पृथक दावा करने की स्वतन्त्रता है तथा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के न्यायालय में भी दुरूस्ती हेतु जा सकते हैं। उक्त दोनों कथन विरोधाभासी हैं। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 की प्रार्थीगण को पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी। उक्त निर्णय की नकल दिनांक 12.08.2008 को मिली है। इसके अलावा दिनांक 23.05.2008 से 18.08.2008 तक गुर्जर आन्दोलन होने के कारण प्रार्थीगण भरतपुर नहीं आ सके थे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की सलाह दिये जाने पर बिना किसी विलम्ब के अदालत हाजा में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसका अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार करते हुये स्वीकार किया जावे तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 को निरस्त कर प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर पुनः निर्णय किया जावे।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की नजरसानी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई व मनन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 के संबंध में रिव्यू प्रार्थना पत्र अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में दिनांक 03.10.2008 को निर्णय पारित होने के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27-8-2009
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लगभग 6 माह बाद प्रस्तुत किया गया है। नजरसानी प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण उपरोक्त पत्रावली अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय से अदालत हाजा में दिनांक 24.05.2017 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने के कारण उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र का निर्णय अदालत हाजा की ओर से किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 में वर्णित प्रावधान का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसके तहत प्रार्थीगण की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 के संदर्भ में नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 में मण्डल तथा अन्य न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 86(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अन्य राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्वाधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी आज्ञाएं दे सकेगा जिन्हें वह उचित समझे, परन्तु शर्त यह है कि (।)कोई भी आज्ञा उस समय तक परिवर्तित की या उलटी नहीं जायेगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उपस्थित होने का नोटिस न दिया गया हो और ऐसी आज्ञा के समर्थन में सुनवाई न कर ली गई हो। (।।)किसी भी आदेश का जिसकी अपील की गई है या जो पुनरीक्षण कार्यवाही का विषय है, पुनरावलोकन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाही विचाराधीन हो। (।।।)प्राइवेट व्यकितयों के बीच में किसी अधिकार के प्रश्न को प्रभावित करने वाली किसी आज्ञा का पुनरावलोकन, सिवाय कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र दिये के, नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आदेश का पुनरावलोकन करने के लिये प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। जब तक की वह ऐसा आदेश होने के 90 दिन के भीतर नहीं दिया गया हो। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीयान की ओर से नजरसानी प्रार्थना पत्र लगभग 6 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। नजरसानी प्रार्थना पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में जो कारण बताया गया है, वह कारण उचित व पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई थी तथा उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व प्रार्थीगण के अभिभाषक की उपस्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 31.03.2008 को पारित किया गया है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र व दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मतें केवल मात्र यह उल्लेख किया जाना कि निर्णय की प्रति दिनांक 12.08.2008 को मिली तथा दिनांक 23.05.2008 से 18.08.2008 तक गुर्जर आन्दोलन होने के कारण

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2021
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भरतपुर नहीं आ सके, उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब प्रार्थीगण की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी व वक्त बहस प्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित थे तो यही माना जायेगा कि प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 की निर्णय की दिनांक से जानकारी थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरसानी' संबंधी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2)(।।।) के अनुसार 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मैन्टनेबल नहीं है।

इसी प्रकार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत ,की गई लिखित बहस के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2008 गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया। धारा 86 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व में पारित निर्णय को बदले जाने को अवैध माना गया है। पुनरावलोकन ऐसे प्रकरण में ही किया जा सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई गलती दिखाई दे रही हो। इस तरह का सिद्धान्त आर.आर.डी. 2002 पेज 715 पर पारित किया गया है। इसी तरह आर.आर.डी. 2007 पेज 132 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जहां रिकार्ड पर कोई प्रत्यक्ष गलती नहीं दिखाई गई हो और पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र का कोई आधार नहीं हो वहां पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र निरस्तनीय माना गया है। आर.एल. डब्ल्यू. 2007 पेज 215 में प्रतिपादित यह सिद्धान्त भी उल्लेखनीय है कि जिसके अनसुार जहां प्रार्थीगण को पूरा सुना जा चुका है, वहां पुनसवलोकन की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आर.आर.डी. 2005 (1) सी.डी.आर. पेज 415 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन व छानबीन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 2006(2) आर.आर.टी. पेज 715 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार पुनरावलोकन का क्षेत्र बहुत सीमित है। उसे पहले दिये गये निर्णय को दोबारा लिखने अथवा पहले से ही रिकार्ड पर विद्यमान तथ्यों के पुनरीक्षण के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 229 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अभिलेख में कोई प्रकट त्रुटि होने पर ही पुनरावलोकन किया जा सकता है। आर.आर.डी. 2016 पेज 210 पर उद्धरित निर्णय में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुनरावलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, यह अपील का छद्म माध्यम नहीं हो सकता है। अभिलेख पर कोई स्पष्टतः परीलक्षित होने वाली कोई त्रुटि नहीं होने पर पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र मैन्टनेबल नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से न तो नजरसानी प्रार्थना पत्र में और न ही उनके अभिभाषक की ओर से बहस के दौरान ऐसी कोई त्रुटि निर्णय दिनांक 31.03.2008

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.24
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में बताई गई जिसके आधार पर उक्त निर्णय को निरस्त कर पुनः बहस सुनी जावे। यदि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 से प्रार्थीगण/अपीलान्टस व्यथित हैं तो इसके संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं, परन्तु नजरसानी प्रार्थना पत्र के आधार पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित किये गये निर्णय दिनांक 31.03.2008 को निरस्त कर पुनः बहस सुनकर निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर